न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ रविन्द्र गोस्वामी,आई.ए.एस

वादीगण

1. सकरा पुत्र गोबरा, जाति गरासिया निवासी महिखेडा मृतक सकरा के कायम मुकामः–
   1/1 श्रीमती काली पत्नी स्वं. सकरा
   1/2 श्री तेजा पुत्र स्वं. सकरा
   1/3 श्री अणदा पुत्र स्वं. सकरा
   1/4 सुरती पुत्री स्वं. सकरा
   1/5 भूरी पुत्री स्वं. सकरा
   1/6 सोनकी पुत्री स्वं. सकरा
   1/7 चुनकी पुत्री स्वं. सकरा
   1/8 गीता पुत्री स्वं. सकरा
   1/9 पारती पुत्री स्वं. सकरा
   जातियान, गरासिया निवासियान महीखेडा, तहसील आबूरोड
2. सोमा पुत्र गोबरा जाति गरासिया निवासी महिखेडा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्री नोना पुत्र रामा जाति गरासिया निवासी महीखेडा
3. श्री जीता पुत्र रामा , जाति गरासिया निवासी महिखेडा, मृतक सकरा के कायम मुकामः–
   2/1 श्रीमती कान्ता पत्नी स्वं. जीता
   2/2 श्री चौपा पुत्र स्वं. जीता
   2/3 पनी पुत्री स्वं. जीता
   2/4 जमना पुत्री स्वं. जीता
   2/5 हीरा पुत्र स्वं. जीतां
   2/6 फुला पुत्र स्वं. जीता
   2/7 जगा पुत्र स्वं. जीता
   2/8 हल्दी पुत्री स्वं. जीता
   जातियान गरासिया निवासियान महीखेडा, तहसील आबूरोड
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 व 209 काश्तकारी अधिनियम</u>

राजस्व वाद संख्या 11/2005

दिनांकः–24–10–2019

<u>निर्णय</u>

यहकि वादीगण द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 व 209 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा ग्राम महीखेडा तहसील आबूरोड में वादी संख्या 01 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी हक की कृषि भूमि खसरा नम्बर 153 मी. रकबा 7–02 बीघा किस्म बारानी–2 स्थित है जिसका वादी संख्या 01 एकमात्र स्वतन्त्र खातेदार कृषक है। मौजा ग्राम महीखेडा तहसील आबूरोड में वादीगण के कब्जे काश्त बारानी–2 स्थित है जिस पर वादीगण ने स्वंय के व्यय से पक्का कुंआ बनवाया है जिस पर विधुत संबंध लेकर विधुत मोटर लगी हुई है। उपरोक्त प्रश्नगत भूमि व उसमें स्थित कुंऐ को संयुक्त रूप से इस वाद पत्र में आगे चल कर उक्त वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्भोधित किया गया है। वादीगण अनुसूचित जनजाति के गरीब काश्तकार है एवं उक्त वादग्रस्त भूमि पर कदीम से शान्तिपूर्वक एवं निर्बाध रूप से काश्त कर जीविकोपार्जन करते है। वादीगण को उनके खातेदारी हक की वादग्रस्त भूमि के उपयोग, उपभोग एवं काश्त करने का पूर्ण हक व अधिकार है जिसमें किसी भी प्रकार की बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न करने का किसी को भी हक व अधिकार नहीं है। यहकि गत 4–5 दिन से प्रतिवादी संख्या 01 से 04 जबरन अवैधानिक रूप से उक्त वादग्रस्त भूमि को हड़पकर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है जिस हेतु प्रतिवादी संख्या 01 से 04 आये दिन वादीगण के साथ गाली गलौच कर मरने मारने को आमादा होते है एवं वादीगण जब भी वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य हेतु जाते है **तब अकारण** बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न करते है। जिस कारण वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वें प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करें जिस हेतु यह वाद श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

हमने प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये। प्रतिवादीगण को जारी सम्मन तामिल शुदा प्राप्त । प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित कृषि भूमि का मूल खसरा नंबर 153 तथा रकबा 10 बीघा 5 विस्वा है जो प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वज श्री रामा की खातेदारी की रही है। इस भूमि से लगती हुई अन्य भूमि भी खसरा संख्या 114, 142, 148, 150, 141, 144, 152, 154, 143 व 149 भी खसरा संख्या 153 की भूमि को सम्मलित करते हुए स्वर्गीय रामा की कब्जे का हक व खातेदारी रही है जिस पर प्रतिवादीगण अपने पिता के समय से कृषि करते रहे है। स्वर्गीय रामा ने अपने जीवनकाल मे ही कौके पर अपनी सम्पूर्ण कृषि भूमि का बंटवारा कर अपने पुत्रों व पुत्रीयों को दे दिया था । खसरा नंबर 153 की कृषि भूमि प्रतिवादी जीता व राजा तथा श्रीमति संती के बंट मे आई थी। जो बंटवारा आज से लगभग 19–20 वर्ष पूर्व किया गया था प्रतिवादी जीता व राजा ने 19–20 वर्ष पूर्व इसमे कुंआ भी खुदवाया था। प्रतिवादी राजा व जीता ने भविष्य में विवाद नही हो को ध्यान मे रख कर अपने बडे भाई व बहिन, नाना सुरमा व झुमी के बंट में आई कृषि भूमि के हक कर बाड करवा दी थी । जो बंटवारे के तुरन्त बाद करवाई थी। अपने बडे भाईयों से क्षेत्रफल को लेकर विवाद होने से वादीगण को भाग पर बौने हेतु दी थी । जो भोग वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को लगातार देते रहे। जिस भोग मे से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अपने बहिन संती को अदा करते रहे किन्तु पिछले 2–3 वर्ष से वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को भोग देना बंद कर दिया तब प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को उन्हे भोग पर की खसरा संख्या 153 की भूमि से हटने को कहा तो उन्होने स्वयं की भूमि बताकर विवादित भूमि से हटने से इंकार कर दिया और कहा की उन्होने यह भूमि कय की है। जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा प्राप्त करने पर उन्हे ज्ञात हुआ की वादीगण ने एक फर्जी बेचान नामा दिनांक 12.12.1979 को फर्जी हस्ताक्षरो से तैयार कर स्वयं के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवा लिया है। जिस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व उनकी दो बहिनो संती व झुमी ने माननीय न्यायालय मे विधिवत वाद वास्ते घोषणा का प्रस्तुत किया है।

दिनांक 03.03.2011 को उक्त वाद के साथ अन्य राजस्व वाद संख्या 16/2016 संकलित किया गया।

दिनांक 12.5.2011 को निम्न 5 तनकियात कायम की गईः– हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं तनकियात को निम्नानुसार निर्णित किया।

तनकी संख्या एकः– आया मौजा महीखेडा के खसरा संख्या 153 मी. एवं 153/1 भूमि जो वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि से प्रतिवादीगण वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है, जिससे वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।— जिम्मे वादीगण

दस्तावेजो मे 12.12.79 का बेचान नामा है, जो रजिस्टर्ड है, तथा जिसमे सूरमा व नाना के अंगुठा निशानी होने का उल्लेख है। इनके अतिरिक्त जीता नाबालिंग उम्र 12 के कुदरती वारिसान की हैसियत से ये बेचाननामा किया गया बताते है। उक्त बेचाननामे को उप पंजीयक कार्यालय मे 19.12.79 को क0सं0 365/79 पर पंजीबद्ध कराया गया है। इसके अलावा वादी ने अपने कथनो के पक्ष मे संवत 2060 की जमाबंदी पेश की है जिसमे खसरा संख्या 153 का खातेदार सकरा वल्द गोबरा को दर्ज बताया है। वादी ने बहस मे यह बताया कि 1979 के बेचाननामे बाद प्रतिवादी 2005 मे हमे हैरान परेशान करने लगा। इस बीच हमारा उक्त विवादित भूमि पर न केवल कब्जा, काश्त रहा वरन हमने उस कृषि भूमि का भोग इत्यादि भी नही दिया, क्यूकि हमने विधिवत रूप से उक्त भूमि का कय किया था तथा हम उक्त भूमि के रिकोर्डेड खातेदार भी है। प्रतिवादी ने अपने जवाब मे यह बताया कि उक्त बेचाननामा शुरू से ही विधि विरूद्ध है, क्यूकि जीता, उक्त बेचाननामे के होने के दौरान बालिंग था। प्रतिवादी ने इस कथन के समर्थन मे किसी भी प्रकार का दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। साथ ही प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि वादी उक्त भूमि पर कृषि तो करता था, लेकिन उसका भोग वह प्रतिवादी को देता था, लेकिन इस के पक्ष मे वह किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पाया है, जो यह सिद्ध कर सके कि भोग दिया जाता रहा था तथा वादी द्वारा कृषि किया जाना, वादी का कब्जा काश्त सिद्ध नही करता। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादी सन 1979 से 2005 तक, अपनी कयशुदा भूमि पर निर्बाध कब्जा काश्त कर रहा था, अतः तनकी संख्या एक वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

तथा इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण, आया मौजा महिखेडा के खसरा नंबर 153मी. एवं 153/1 जो वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मे स्वयं या अपने एजेंण्टो के माध्यम से न तो दखलंदाजी करे एवं न बेदखल करने का प्रयास ही करे।

तनकी संख्या दो:– आया वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पिता की थी जो रामा ने अपने जीवनकाल मे प्रतिवादीगण को दी थी ओर वादीगण ने फर्जी बेचान नामा दिनांक 12.12.79 को फर्जी हस्ताक्षरो से तैयार कर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया अतः इस अवैध बेचाननामा का विवादित भूमि से प्रतिवादीगण के अधिकारो पर कोई बंधनकारी प्रभाव नही है। जिससे वादी का वाद खारिज योग्य है। जिम्मे– प्रतिवादीगण

प्रतिवादीगण प्रतिवादी ने 12.12.79 के दस्तावेज को कूटरचित बताया है। लेकिन यह सिद्ध करने मे नाकाम रहा है कि जो अगूँठा निशानी लगाए गए वह , उन्ही व्यक्तियो के है अथवा नही। साथ ही जीता के उस समय बालिंग होने के पक्ष मे अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत नही किए है। साथ ही 12.12.79 तथा 2005 के बीच लगभग 25 वर्षो के अंतराल को भी मानना, सामान्य सोच के विपरित है, कि इतने वर्षो तक क्यूँ प्रतिवादी चुप रहे एवं किसी प्रकार से कोई भी एतराज नही किया।

यहाँ **Gangaram v/s State 2012 RRD 49 Rahim Bux v/s Board 2012 RRD 51 (HC)** में स्पष्ट हो चुका है कि **"Where documentary evidence are available in revenue records, Khatedari records can not be claimed on the basis of oral evidence"** साथ ही यह कि **"Entries in revenue records for a long time raise a similar presumption of correctness which has to be rebutted" (Mst. Jaikur v/s Labha, AIR 1922 Lah.168, Mst. Barti v/s Bhup dingh 1977 RRd 115)**

अतः उक्त बेचाननामे को अवैद्य सिद्ध कर पाने में प्रतिवादीगण सफल नही हुआ है। अतः तनकी 2 प्रतिवादी के विपक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या तीन––– आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की की डिक्री – जिम्मे वादी व प्रतिवादी, उपरोक्त तथ्यो के आधार पर वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या चार––– आया प्रतिवादीगण खसरा नंबर 153 की कृषि भूमि के स्वयं को खातेदारी की घोषणा के अधिकारी है। जिम्मे––– प्रतिवादी, प्रतिवादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि लगभग –15–20 वर्षो से वादी उक्त भूमि पर कृषि कर रहा है। समस्त दस्तावेज भी इसी तरफ इशारा करते है कि वादी उक्त भूमि का रिकोर्डेड खातेदार है। प्रतिवादी ने भोग/ बँटाई देने के पक्ष मे किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि **"Where a person sues for declaration of tenancy Act but there is nothing to show that he ever cultivated or sub let the land or paid rent or received it and there is nothing in his favour except a wrong entry in papers, his suit must fail" (Aukama v/s Hariprasad 14 RB504)**

अतः दस्तावेजी साक्ष्यों तथा कब्जा काश्त के वादी के पक्ष मे होने कारण तनकी संख्या प्रतिवादी के विपक्ष मे निर्णित की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकियात को निर्णित करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो तथा बहस पर मनन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 व 209 काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण, आया मौजा महिखेडा के खसरा नंबर 153मी. रकबा 7.02 बीघा एवं 153/1 रकबा 00.01 बीघा जो वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से स्वयं या अपने एजेण्टो के माध्यम से न तो दखलंदाजी करे एवं न बेदखल करने का प्रयास ही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत

आदेश आज दिनांक 24–10–2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑ. 21 रूल 6,7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर मुकाम आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी –डॉ रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सकरा पुत्र गोबरा, जाति गरासिया निवासी मंहिखेडा मृतक सकरा के कायम मुकामः– 1/1 श्रीमती काली पत्नी स्वं. सकरा 1/2 श्री तेजा पुत्र स्वं. सकरा 1/3 श्री अणदा पुत्र स्वं. सकरा 1/4 सुरती पुत्री स्वं. सकरा 1/5 भूरी पुत्री स्वं. सकरा 1/6 सोनकी पुत्री स्वं. सकरा 1/7 चुनकी पुत्री स्वं. सकरा 1/8 गीता पुत्री स्वं. सकरा 1/9 पारती पुत्री स्वं. सकरा जातियान, गरासिया निवासियान महीखेडा, तहसील आबूरोड 2. सोमा पुत्र गोबरा जाति गरासिया निवासी महिखेडा		1. श्री नोना पुत्र रामा जाति गरासिया निवासी महीखेडा 2. श्री जीता पुत्र रामा , जाति गरासिया निवासी महिखेडा मृतक सकरा के कायम मुकामः– 2/1 श्रीमती कान्ता पत्नी स्वं. जीता 2/2 श्री चौपा पुत्र स्वं. जीता 2/3 पनी पुत्री स्वं. जीता 2/4 जमना पुत्री स्वं. जीता 2/5 हीरा पुत्र स्वं. जीता 2/6 फुला पुत्र स्वं. जीता 2/7 जगा पुत्र स्वं. जीता 2/8 हल्दी पुत्री स्वं. जीता जातियान गरासिया निवासियान महीखेडा, तहसील आबूरोड 3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 व 209 काश्तकारी अधिनियम</u>

राजस्व वाद संख्या 11/2005

दिनांकः–24–10–2019

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जितेन्द्र सुराणा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण श्री ओम प्रकाश कुमावत मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 व 209 काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण, आया मौजा महिखेडा के खसरा नंबर 153मी. रकबा 7.02 बीघा एवं 153/1 रकबा 00.01 बीघा जो वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मे स्वयं या अपने एजेण्टो के माध्यम से न तो दखलंदाजी करे एवं न बेदखल करने का प्रयास ही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निचे———×————मुतलिक—————×—————बाबत् खर्चा इन मुकदमे के मय सूद वगैरह—————×—————फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक—————×—————को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 24–10–2019 को जारी की गई है।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत

सहायक कलक्टर
आबु-पर्वत

न्यायालय सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (राजस्थान)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी— डॉ रविन्द्र गोस्वामी,आई.ए.एस

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. सूरज के कायम मुकाम 1/1 श्रीमती केली देवी पत्नी सूरजमल 1/2 ओमप्रकाश पुत्र सूरजमल 1/3 अरविन्द पुत्र सूरजमल 1/4 राजकुमार पुत्र सूरजमल 1/5 श्रीमती मंजू पत्नी जगन्नाथ 1/6 श्रीमती जयश्री पत्नी गोपालजी 1/7 सुश्री नीलम पुत्री सूरजमल जातियान रेगर निवासियान आबूरोड 2. चन्द्रप्रकाश पुत्र तलसाराम, जाति रैगर निवासी लुनियापुरा, आबूरोड	1. पन्ना पुत्र भागीरथ जाति रैगर निवासी लुनियापुरा 2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91 व 188,209 काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या 16/2003

दिनांकः— 24—10—2019

निर्णय

यह कि वादीगण द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91 व 188,209 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा आबूरोड में कृषि भूमि खसरा नम्बर 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 119, 120, 121, 124, 103, 104, 115, 118, 125, 126, 129, 105, 123, 122 कुल किता—24 कुल रकबा 51.04 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रारम्भ से ही दो सगे भाईयों पन्ना पुत्र भागीरथ एवं तलसा पुत्र भागीरथ की सामलाती रही है यह दोनों भाई सामलाती भूमि पर काबिजकाश्त रहें है। दोनों भाईयों का उक्त भूमि पर आधा—आधा हिस्सा था। और दोनों भाई अपने—अपने हिस्से पर खेती करते थे। बराबर हिस्से पर तलसाराम का देहान्त होने के बाद वादी संख्या 01 व 02 उनके पुत्र होने के नाते तलसाराम के हिस्से में काबिजकाश्त हुये। वादीगणों को एवं उनके स्वर्गीय पिता को इनके प्रति कभी कोई संदेह नहीं हुआ और मौके पर भूमि बराबर—बराबर बटी है। वादीगणों के पिता तलसा पुत्र भागीरथ का 1997 में निधन होने के बाद पटवारी हल्का आबूरोड के पास वादी लगान भरने गये तब प्रथम बार वादीगणों को यह ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त कृषि भूमि जो 51 बीघा 04 बिस्वा है जिसके ठीक आधे भाग पर अर्थात करीब 25 बीघा 12 बिस्वा पर वादीगण के पिता तथा वादीगणों का लगभग 30 वर्ष से भी अधिक का कब्जा होते हुये भी और वादीगणों के पिता का बराबर अधिकार होते हुए भी रिकार्ड पर गलत तरीके से विभाजन अंकित करते हुये दो पृथक खाते बना दिए जिसमें निम्नलिखित नियम के विरूद्ध रिकार्ड बना हुआ है। भागीरथ के पुत्र पन्ना व तलसाराम वादग्रस्त कृषि भूमि से बराबर के हकदार है तो भी किसी गैर कानूनी विभाजन को आधार मानकर वादीगणों के हिस्से में रिकार्ड पर मात्र खसरा नम्बर 103 रकबा 02.11 बीघा, 104 रकबा 19 बिस्वा, 115 रकबा 08.15 बीघा कुल 12 बीघा 5 बिस्वा अंकित है जबकि गत 30 वर्षो से अपने पिता के माध्यम से एवं स्वंय भी वादीगण मौके के और हिस्से के बंटवारे अनुसार संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाये हुए खसरा नम्बर 103, 104, 115, 105, 108, 109, 117, 113, 114 कुल 25 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादीगणों के हिस्से की है।

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

—2

खसरा नम्बर 103,104,115 तो वादीगणों के खाते में अंकित है लेकिन खसरा नम्बर 105, 108, 109, 113, 114, 117 ये नम्बर जो वादीगणों के नम्बर है प्रतिवादी संख्या 01 पन्ना पुत्र भागीरथ का खाता अलग बनाकर जोड दिया गया जो गलत व गैर कानूनी है। जिन्हें दुरस्त कराने के लिए दावा पेश किया जा रहा है।

हमने प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादी को सम्मन जारी किए। जो तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किए गए। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी एक ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा आबूरोड के खसरा नम्बर 105,108,109,113,114,117 की कृषि भूमि बंटवारे के दिन से ही उसके पूर्व से ही प्रतिवादी के कब्जे व उपयोग में शान्तिपूर्वक बिना किसी एतराज के आ रही है। अतः बॉय लॉ ऑफ एडवर्श पजेशन से भी यह प्रतिवादी उस भूमि का खातेदार कृषक है एवं इस आधार पर वादीगण का वाद खारिज करने का कथन किया है।

हमने बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। जिसके आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात निर्णित की जाती है।

तनकी–1–आया मौजा आबूरोड के खसरा संख्या 103,104,115,105,108,109,113,114,117 कुल किता 9 कुल रकबा 25 बीघा 4 विस्वा वादग्रस्त भूमि पर वादी व उनके पिता को 30 वर्ष से अधिक समय से कब्जा होने से वादीगण इस भूमि पर खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी है। जिम्मे वादीगण, मौजा आबूरोड के खसरा संख्या 103,104,115,105,108,109,113,114,117 कुल किता 9 कुल रकबा 25 बीघा 4 विस्वा पर वादी व उनके पिता का 30 वर्ष से अधिक समय से कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहा है। और यह कहा गया है कि मौके पर कब्जा काश्त वादी का है। जवाब मे प्रतिवादी ने जमाबंदी संवत 2014 से लेकर 2025 की प्रमाणित नकल, जमाबंदी सवंत 2054 से 2057 की नकल, पटवारी रिपोर्ट दिनांक 11.01.80 लगाई है तथा कहा है कि, रजिस्टर्ड बंटवारानामा दिनांक 6.3.80 की पालना मे वह, खसरा 105,113,114,106,107,108,109,110,111,112,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,129 किता 21 कुल रकबा 38.19 बीघा पर काबीज है। राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि रजिस्टर्ड बंटवारानामा दिनांक 6.3.80 की पालना मे नामान्तरकरण संख्या 43 बाद जांच दिनांक 10.6.81 को स्वीकृत किया गया। तदुपरांत, राजस्व रिकार्ड उसी अनुसार चलता रहा तथा दिनांक 2.11.2000 की मौका कमिश्नर रिपोर्ट भी यह स्पष्ट करती है कि उभय पक्ष जमाबंदी अनुसार अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है। अतः 30 वर्ष का कब्जा काश्त निर्विवादित तथा निर्विरोध रूप से न करने के कारण तनकी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा एडवर्ड पजेशन के आधार पर खसरा नम्बर 105, 108, 109, 113, 114, 117 पर खातेदारी की घोषणा का दावा खारिज किया जाता है।

तनकी–2–आया वादीगण उक्त खसरा नंबर की भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा पाने अधिकारी है।– जिम्मे वादीगण, आंशिक स्वीकार खसरा 103, 104 व 115 कुल 12.5 पर वादी के पक्ष मे स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।प्रतिवादी स्वंय या अपने ऐजेंटो के माध्यम से वादी को उक्त खसरान पर हैरान, परेशान व बेदखल ना करे। अन्य खसरान पर खातेदारी अधिकार सिद्ध ना होने से स्थाई निषेधाज्ञा का दावा वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

तनकी–3–आया उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्ती कराने के वादीगण अधिकारी है।– जिम्मे वादीगण, उपरोक्त अनुसार विरूद्ध वादी निर्णित की जाती हैं।

तनकी–4–आया खसरा नंबर 105,108,109,113,114,117 की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा हो जाये तो वादीगण खाली कर कब्जा जाने का अधिकारी है– जिम्मे प्रतिवादीगण, समस्त साक्ष्यों से सिद्ध हो रहा है कि खसरा 105,108,109,113,114,117 पर प्रतिवादी का ना केवल कब्जा है, बल्कि प्रतिवादी सन् 1980–81 से उक्त भूमि पर रिकोर्डेड खातेदार है। वादी अपने साक्ष्यों व गवाहों से यह सिद्ध करने में नाकाम रहा है कि क्यूँ कि बँटवारानामा के आधार पर अस्तित्व में आए राजस्व रिकार्ड को गलत माना जाए। वादी यह भी सिद्ध नहीं कर पाया कि उक्त विवादित भूमि पैतृक है ।

न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

— 3

तथा जिस पर दोनों भाईयों का बराबर हिस्सा बनता है। आवंटित भूमि का यदि रजिस्टर्ड बँटवारानामा से बँटवारा होकर, राजस्व रिकार्ड अस्तित्व में आता है, तो वादी को अकाट्य व निर्विवाद रूप से सिद्ध करना होगा की लगभग 15–20 वर्ष पुराना रिकोर्ड क्यूँ गलत है? चूँकि वादी यह सिद्ध नहीं कर पाया है। अतः तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी–5–आया वादी के पिता व प्रतिवादी के मध्य दिनांक 6.3.1980 को लिखित बंटवारा हुआ था। जिसके अनुसार वादीगण के पिता के हिस्से में खसरा नंबर 103,104,115, कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 05 विस्वा भूमि थी जिस पर ही वह काबिज था और उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज हुआ जो सही है– जिम्मे प्रतिवादीगण, उपरोक्तानुसार प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी–6–वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है– जिम्मे प्रतिवादीगण, उपरोक्तानुसार प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी–7–आया वादीगण ने झूठा दावा पेश किया है जिससे प्रतिवादीगण रूपये 25000/– विशेष हर्जाना पाने के अधिकारी है– जिम्मे प्रतिवादीगण, प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकियात को निर्णित करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91 एवं 188,209 काश्तकारी अधिनियम 1955 को आंशिक स्वीकार किया जाता है। मौजा आबूरोड के खसरा नंबर 103, 104, 115 कुल किता तीन कुल रकबा 12 बीघा 05 विस्वा का ही वादीगण को खातेदार घोषित कर मौजा आबूरोड के अन्य खसरा नंबर 105,108,109,113,114,117 पर खातेदारी की घोषणा का वादीगण का दावा, वादीगण उक्त भूमि पर 30 वर्षो का कब्जा काश्त निर्विवादित होने तथा निर्विरोध रूप से होने का सिद्ध न करने कारण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा का वादीगण का दावा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत
सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

आदेश आज दिनांक 24–10–2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत
सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑ. 21 रूल 6,7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर मुकाम आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी –(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) , आई.ए.एस .

वादीगण

1. सूरज के कायम मुकाम
   1/1 श्रीमती केली देवी पत्नी सूरजमल
   1/2 ओमप्रकाश पुत्र सूरजमल
   1/3 अरविन्द पुत्र सूरजमल
   1/4 राजकुमार पुत्र सूरजमल
   1/5 श्रीमती मंजू पत्नी जगन्नाथ
   1/6 श्रीमती जयश्री पत्नी गोपालजी
   1/7 सुश्री नीलम पुत्री सूरजमल जातियान रेगर निवासियान आबूरोड
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र तलसाराम, जाति रैगर निवासी लुनियापुरा, आबूरोड

प्रतिवादीगण

1. पन्ना पुत्र भागीरथ जाति रैगर निवासी लुनियापुरा
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91 व 188,209 काश्तकारी अधिनियम</u>

राजस्व वाद संख्या 16/2003

दिनांकः– 24–10–2019

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91 एवं 188,209 काश्तकारी अधिनियम 1955 को आंशिक स्वीकार किया जाता है। मौजा आबूरोड के खसरा नंबर 103, 104, 115 कुल किता तीन कुल रकबा 12 बीघा 05 विस्वा का ही वादीगण को खातेदार घोषित कर मौजा आबूरोड के अन्य खसरा नंबर 105,108,109,113,114,117 पर खातेदारी की घोषणा का वादीगण का दावा, वादीगण उक्त भूमि पर 30 वर्षो का कब्जा काश्त निर्विवादित होने तथा निर्विरोध रूप से होने का सिद्ध न करने कारण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा का वादीगण का दावा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निचे------×-----------मुतलिक-----------×-----------बाबत। खर्चा इन मुकदमे के मय सूद वगैरह-----------×-----------फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक-----------×-----------को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.10.2019 को जारी की गई है।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलेक्टर,आबूपर्वत

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑ. 21 रूल 6,7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर मुकाम आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी –डॉ रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

वादीगण बनाम **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. सकरा पुत्र गोबरा, जाति गरासिया निवासी महिखेडा मृतक सकरा के कायम मुकामः–
   1/1 श्रीमती काली पत्नी स्वं. सकरा
   1/2 श्री तेजा पुत्र स्वं. सकरा
   1/3 श्री अणदा पुत्र स्वं. सकरा
   1/4 सुरती पुत्री स्वं. सकरा
   1/5 भूरी पुत्री स्वं. सकरा
   1/6 सोनकी पुत्री स्वं. सकरा
   1/7 चुनकी पुत्री स्वं. सकरा
   1/8 गीता पुत्री स्वं. सकरा
   1/9 पारती पुत्री स्वं. सकरा
   जातियान, गरासिया निवासियान महीखेडा, तहसील आबूरोड
2. सोमा पुत्र गोबरा जाति गरासिया निवासी महिखेडा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्री नोना पुत्र रामा जाति गरासिया निवासी महीखेडा
2. श्री जीता पुत्र रामा , जाति गरासिया निवासी महिखेडा मृतक सकरा के कायम मुकामः–
   2/1 श्रीमती कान्ता पत्नी स्वं. जीता
   2/2 श्री चौपा पुत्र स्वं. जीता
   2/3 पनी पुत्री स्वं. जीता
   2/4 जमना पुत्री स्वं. जीता
   2/5 हीरा पुत्र स्वं. जीता
   2/6 फुला पुत्र स्वं. जीता
   2/7 जगा पुत्र स्वं. जीता
   2/8 हल्दी पुत्री स्वं. जीता
   जातियान गरासिया निवासियान महीखेडा, तहसील आबूरोड
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 व 209 काश्तकारी अधिनियम</u>

राजस्व वाद संख्या 11/2005

दिनांकः–24–10–2019

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जितेन्द्र सुराणा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण श्री ओम प्रकाश कुमावत मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 व 209 काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण, आया मौजा महिखेडा के खसरा नंबर 153मी. रकबा 7.02 बीघा एवं 153/1 रकबा 00.01 बीघा जो वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मे स्वयं या अपने एजेण्टो के माध्यम से न तो दखलंदाजी करे एवं न बेदखल करने का प्रयास ही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निचे––––×––––––मुतलिक–––––––×–––––––बाबत् खर्चा इन मुकदमे के मय सूद वगैरह–––––––×–––––––फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक–––––––×–––––––को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 24–10–2019 को जारी की गई है।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत
आबू-पर्वत

न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ रविन्द्र गोस्वामी,आई.ए.एस

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. सूरज के कायम मुकाम 1/1 श्रीमती केली देवी पत्नी सूरजमल 1/2 ओमप्रकाश पुत्र सूरजमल 1/3 अरविन्द पुत्र सूरजमल 1/4 राजकुमार पुत्र सूरजमल 1/5 श्रीमती मंजू पत्नी जगन्नाथ 1/6 श्रीमती जयश्री पत्नी गोपालजी 1/7 सुश्री नीलम पुत्री सूरजमल जातियान रेगर निवासियान आबूरोड 2. चन्द्रप्रकाश पुत्र तलसाराम, जाति रैगर निवासी लुनियापुरा, आबूरोड	1. पन्ना पुत्र भागीरथ जाति रैगर निवासी लुनियापुरा 2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91 व 188,209 काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या 16/2003

दिनांकः– 24–10–2019

निर्णय

यह कि वादीगण द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91 व 188,209 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा आबूरोड में कृषि भूमि खसरा नम्बर 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 119, 120, 121, 124, 103, 104, 115, 118, 125, 126, 129, 105, 123, 122 कुल किता–24 कुल रकबा 51.04 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रारम्भ से ही दो सगे भाईयों पन्ना पुत्र भागीरथ एवं तलसा पुत्र भागीरथ की सामलाती रही है यह दोनों भाई सामलाती भूमि पर काबिजकाश्त रहें है। दोनों भाईयों का उक्त भूमि पर आधा–आधा हिस्सा था। और दोनों भाई अपने–अपने हिस्से पर खेती करते थे। बराबर हिस्से पर तलसाराम का देहान्त होने के बाद वादी संख्या 01 व 02 उनके पुत्र होने के नाते तलसाराम के हिस्से में काबिजकाश्त हुये। वादीगणों को एवं उनके स्वर्गीय पिता को इनके प्रति कभी कोई संदेह नहीं हुआ और मौके पर भूमि बराबर–बराबर बटी है। वादीगणों के पिता तलसा पुत्र भागीरथ का 1997 में निधन होने के बाद पटवारी हल्का आबूरोड के पास वादी लगान भरने गये तब प्रथम बार वादीगणों को यह ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त कृषि भूमि जो 51 बीघा 04 बिस्वा है जिसके ठीक आधे भाग पर अर्थात करीब 25 बीघा 12 बिस्वा पर वादीगण के पिता तथा वादीगणों का लगभग 30 वर्ष से भी अधिक का कब्जा होते हुये भी और वादीगणों के पिता का बराबर अधिकार होते हुए भी रिकार्ड पर गलत तरीके से विभाजन अंकित करते हुये दो पृथक खाते बना दिए जिसमें निम्नलिखित नियम के विरूद्ध रिकार्ड बना हुआ है। भागीरथ के पुत्र पन्ना व तलसाराम वादग्रस्त कृषि भूमि से बराबर के हकदार है तो भी किसी गैर कानूनी विभाजन को आधार मानकर वादीगणों के हिस्से में रिकार्ड पर मात्र खसरा नम्बर 103 रकबा 02.11 बीघा, 104 रकबा 19 बिस्वा, 115 रकबा 08.15 बीघा कुल 12 बीघा 5 बिस्वा अंकित है जबकि गत 30 वर्षों से अपने पिता के माध्यम से एवं स्वंय भी वादीगण मौके के और हिस्से के बंटवारे अनुसार संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाये हुए खसरा नम्बर 103, 104, 115, 105, 108, 109, 117, 113, 114 कुल 25 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादीगणों के हिस्से की है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

खसरा नम्बर 103,104,115 तो वादीगणों के खाते में अंकित है लेकिन खसरा नम्बर 105, 108, 109, 113, 114, 117 ये नम्बर जो वादीगणों के नम्बर है प्रतिवादी संख्या 01 पन्ना पुत्र भागीरथ का खाता अलग बनाकर जोड दिया गया जो गलत व गैर कानूनी है। जिन्हें दुरस्त कराने के लिए दावा पेश किया जा रहा है।

हमने प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादी को सम्मन जारी किए। जो तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किए गए। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी एक ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा आबूरोड के खसरा नम्बर 105,108,109,113,114,117 की कृषि भूमि बंटवारे के दिन से ही उसके पूर्व से ही प्रतिवादी के कब्जे व उपयोग में शान्तिपूर्वक बिना किसी एतराज के आ रही है। अतः बॉय लॉ ऑफ एडवर्श पजेशन से भी यह प्रतिवादी उस भूमि का खातेदार कृषक है एवं इस आधार पर वादीगण का वाद खारिज करने का कथन किया है।

हमने बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। जिसके आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात निर्णित की जाती है।

तनकी–1–आया मौजा आबूरोड के खसरा संख्या 103,104,115,105,108,109,113,114,117 कुल किता 9 कुल रकबा 25 बीघा 4 विस्वा वादग्रस्त भूमि पर वादी व उनके पिता को 30 वर्ष से अधिक समय से कब्जा होने से वादीगण इस भूमि पर खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी है। जिम्मे वादीगण, मौजा आबूरोड के खसरा संख्या 103,104,115,105,108,109,113,114,117 कुल किता 9 कुल रकबा 25 बीघा 4 विस्वा पर वादी व उनके पिता का 30 वर्ष से अधिक समय से कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहा है। और यह कहा गया है कि मौके पर कब्जा काश्त वादी का है। जवाब मे प्रतिवादी ने जमाबंदी संवत 2014 से लेकर 2025 की प्रमाणित नकल, जमाबंदी सवंत 2054 से 2057 की नकल, पटवारी रिपोर्ट दिनांक 11.01.80 लगाई है तथा कहा है कि , रजिस्टर्ड बंटवारानामा दिनांक 6.3.80 की पालना मे वह, खसरा 105,113,114,106,107,108,109,110,111,112,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,129 किता 21 कुल रकबा 38.19 बीघा पर काबीज है। राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि रजिस्टर्ड बंटवारानामा दिनांक 6.3.80 की पालना मे नामान्तरकरण संख्या 43 बाद जांच दिनांक 10.6.81 को स्वीकृत किया गया। तदुपरांत, राजस्व रिकार्ड उसी अनुसार चलता रहा तथा दिनांक 2.11.2000 की मौका कमिश्नर रिपोर्ट भी यह स्पष्ट करती है कि उभय पक्ष जमाबंदी अनुसार अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है। अतः 30 वर्ष का कब्जा काश्त निर्विवादित तथा निर्विरोध रूप से न करने के कारण तनकी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा एडवर्ड पजेशन के आधार पर खसरा नम्बर 105, 108, 109, 113, 114, 117 पर खातेदारी की घोषणा का दावा खारिज किया जाता है।

तनकी–2–आया वादीगण उक्त खसरा नंबर की भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा पाने अधिकारी है।– जिम्मे वादीगण, आंशिक स्वीकार खसरा 103, 104 व 115 कुल 12.5 पर वादी के पक्ष मे स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।प्रतिवादी स्वंय या अपने ऐजेंटो के माध्यम से वादी को उक्त खसरान पर हैरान, परेशान व बेदखल ना करे। अन्य खसरान पर खातेदारी अधिकार सिद्ध ना होने से स्थाई निषेधाज्ञा का दावा वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

तनकी–3–आया उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्ती कराने के वादीगण अधिकारी है।– जिम्मे वादीगण, उपरोक्त अनुसार विरूद्ध वादी निर्णित की जाती हैं।

तनकी–4–आया खसरा नंबर 105,108,109,113,114,117 की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा हो जाये तो वादीगण खाली कर कब्जा जाने का अधिकारी है– जिम्मे प्रतिवादीगण, समस्त साक्ष्यों से सिद्ध हो रहा है कि खसरा 105,108,109,113,114,117 पर प्रतिवादी का ना केवल कब्जा है, बल्कि प्रतिवादी सन् 1980–81 से उक्त भूमि पर रिकोर्डेड खातेदार है। वादी अपने साक्ष्यों व गवाहों से यह सिद्ध करने में नाकाम रहा है कि क्यूँ कि बँटवारानामा के आधार पर अस्तित्व में आए राजस्व रिकार्ड को गलत माना जाए। वादी यह भी सिद्ध नहीं कर पाया कि उक्त विवादित भूमि पैतृक है ।

न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

तथा जिस पर दोनों भाईयों का बराबर हिस्सा बनता है। आवंटित भूमि का यदि रजिस्टर्ड बँटवारानामा से बँटवारा होकर, राजस्व रिकार्ड अस्तित्व में आता है, तो वादी को अकाट्य व निर्विवाद रूप से सिद्ध करना होगा की लगभग 15–20 वर्ष पुराना रिकोर्ड क्यूँ गलत है? चूँकि वादी यह सिद्ध नहीं कर पाया है। अतः तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी–5–आया वादी के पिता व प्रतिवादी के मध्य दिनांक 6.3.1980 को लिखित बंटवारा हुआ था। जिसके अनुसार वादीगण के पिता के हिस्से में खसरा नंबर 103,104,115, कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 05 विस्वा भूमि थी जिस पर ही वह काबिज था और उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज हुआ जो सही है– जिम्मे प्रतिवादीगण, उपरोक्तानुसार प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी–6–वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है– जिम्मे प्रतिवादीगण, उपरोक्तानुसार प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी–7–आया वादीगण ने झूठा दावा पेश किया है जिससे प्रतिवादीगण रूपये 25000/– विशेष हर्जाना पाने के अधिकारी है– जिम्मे प्रतिवादीगण, प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकियात को निर्णित करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91 एवं 188,209 काश्तकारी अधिनियम 1955 को आंशिक स्वीकार किया जाता है। मौजा आबूरोड के खसरा नंबर 103, 104, 115 कुल किता तीन कुल रकबा 12 बीघा 05 विस्वा का ही वादीगण को खातेदार घोषित कर मौजा आबूरोड के अन्य खसरा नंबर 105,108,109,113,114,117 पर खातेदारी की घोषणा का वादीगण का दावा, वादीगण उक्त भूमि पर 30 वर्षो का कब्जा काश्त निर्विवादित होने तथा निर्विरोध रूप से होने का सिद्ध न करने कारण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा का वादीगण का दावा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर आबूपर्वत
सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

आदेश आज दिनांक 24–10–2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर आबूपर्वत
सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑ. 21 रूल 6,7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर मुकाम आबूपर्वत
पीठासीन अधिकारी –(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) , आई.ए.एस .

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. सूरज के कायम मुकाम 1/1 श्रीमती केली देवी पत्नी सूरजमल 1/2 ओमप्रकाश पुत्र सूरजमल 1/3 अरविन्द पुत्र सूरजमल 1/4 राजकुमार पुत्र सूरजमल 1/5 श्रीमती मंजू पत्नी जगन्नाथ 1/6 श्रीमती जयश्री पत्नी गोपालजी 1/7 सुश्री नीलम पुत्री सूरजमल जातियान रेगर निवासियान आबूरोड 2. चन्द्रप्रकाश पुत्र तलसाराम, जाति रैगर निवासी लुनियापुरा, आबूरोड	1. पन्ना पुत्र भागीरथ जाति रैगर निवासी लुनियापुरा 2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91 व 188,209 काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या 16/2003
दिनांकः– 24–10–2019

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91 एवं 188,209 काश्तकारी अधिनियम 1955 को आंशिक स्वीकार किया जाता है। मौजा आबूरोड के खसरा नंबर 103, 104, 115 कुल किता तीन कुल रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा का ही वादीगण को खातेदार घोषित कर मौजा आबूरोड के अन्य खसरा नंबर 105,108,109,113,114,117 पर खातेदारी की घोषणा का वादीगण का दावा, वादीगण उक्त भूमि पर 30 वर्षो का कब्जा काश्त निर्विवादित होने तथा निर्विरोध रूप से होने का सिद्ध न करने कारण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा का वादीगण का दावा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निचे------×---------मुतलिक-----------×-----------बाबत। खर्चा इन मुकदमे के मय सूद वगैरह-----------×-----------फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक-----------×-----------को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.10.2019 को जारी की गई है।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलेक्टर,आबूपर्वत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Ravindra Goswami
Date: 2019.11.25 17:38:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: